

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)


प्रार्थीगण
गिरधारीराम

अप्रार्थीगण
लालुराम वर्ग

फैसम प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

बनाम

मुकदमा नं. 72 / 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
26.05.2017	<p>यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत वकील श्री अम्यालाल पाराशर ने पेश कर अस्थाई निशेधाज्ञा बायत निवेदन किया।</p> <p>वकील प्रार्थी की एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व शपथपत्र का अवलोकन से मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीया के पक्ष में सुविधा का सुतंलन तथा अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने पर अप्रार्थीगण 1 से 5 के विरुद्ध अस्थाई निशेधाज्ञा जारी कर मौजा वोसेरी के कटाणी रास्ता ख नं 280/5 रकबा 1 बीघा भूमि रास्ता को कायम रखे व कटाणी रास्ते पर ही सड़क का निर्माण करे व प्रार्थी को ख नं 280/5 कटाणी रास्ते में आने जाने में अवरोध न करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया जावे पक्षकारों को सम्मन जरिये रजिस्टर ऐडी भिजवाये। पत्रावली दिनांक 30.06.2017 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर (फत. हो. धो.) जायल (नागौर) </p>	



24.7.17 पत्रावली पक्षकार/पक्षकारान के अधिकार के तहत सिविल समाप्ति पर आगे रूखी

पैदासून अधिकारी की निर्दिष्ट में/प्रमाण अवकाश पर नही हुए है, इसलिए प्रकरण उनके सम्मन दिनांक 20.9.17 को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिकार के अधिकार के तहत सिविल समाप्ति पर नही हुए है, इसलिए प्रकरण उनके सम्मन दिनांक 02.10.17 को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिकार के अधिकार के तहत सिविल समाप्ति पर नही हुए है, इसलिए प्रकरण उनके सम्मन दिनांक 19.12.18 को प्रस्तुत करें।

2-2-18

